

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 15 ]  
No. 15 ]

दिल्ली, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2010, बृहस्पतिवार/चैत्र 19—चैत्र 25, 1932  
DELHI, APRIL 9—APRIL 15, 2010, THURSDAY/CHAITRA 19—CHAITRA 25, 1932

[रा.रा.क्षेदि सं 8,10 ]  
[N.C.T.D. Nos. 8,10 ]

भाग—IV  
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय : मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण  
आदेश  
दिल्ली, 5 अप्रैल, 2010

सं. फा. 10 (851)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./58.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दी ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लि., रिजनल ऑफिस-1, नौवीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, टावर-1, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) जो कि उनके द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय है का भुगतान करेगी। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त

बाद जो भी पहले हो इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE  
AUTHORITY  
ORDERS

Delhi, the 5th April, 2010

F. No. 10(851)/COS(HQ)/Cons. Duty/58.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. The Oriental Insurance Company Limited, Regional Office-1, 9th Floor, Jeewan Bharti Building, Tower-1, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000

(Rs. Twenty Five Lac) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period April 2010 to March 2011 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount whichever is earlier.

दिल्ली, 6 अप्रैल, 2010

**सं. फा. 10 (1155)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/83.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसपीई फिल्मस इंडिया प्रा.लि., 1215, नौरंग हाउस, 21, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 10,35,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6,04,14,682 से 7,07,64,681 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,03,500 (रुपए एक लाख तीन हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 6th April, 2010

**No. F. 10(1155)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/83.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SPE Films India Private Limited, 1215, Naurang House, 21, K. G. Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,03,500 (Rs. One Lac Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,35,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 6,04,14,682 to 7,07,64,681 to be issued by the said company.

दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

**सं. फा. 10 (1154)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/142.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रायबहादुर नारायण सिंह सुगर मिल्स लि., 2, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 8,04,30,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,14,90,001 से 1,95,33,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए

80,430 (रुपए अस्सी हजार चार सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 8th April, 2010

**No. F. 10(1154)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/142.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Limited, 2, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 80,430 (Rs. Eighty Thousand Four Hundred Thirty only) on the aggregate value of shares of Rs. 8,04,30,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 1,14,90,001 to 1,95,33,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (1130)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/149.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री भारत स्टार्स सर्विसेज प्रा.लि., बीपीसीएल एविएशन फ्यूलिंग स्टेशन इंदिरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल-II नई दिल्ली-110061 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 10,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,00,001 से 2,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,00,000 (रुपए एक लाख केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(1130)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/149.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bharat Stars Services Private Limited, BPCL Aviation Fuelling Stn., Indira Gandhi International Airport Terminal-II, New Delhi-110061 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac only) on the aggregate value of shares of Rs. 10,00,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 1,00,00,001 to 2,00,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (1150)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/150.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हाई मार्क क्रेडिट इन्फोरमेशन सर्विसेस प्रा.लि. 104, अशोका इस्टेट, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 39,25,53,056 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 3,26,53,061 पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 3,92,554 (रूपए तीन लाख बानवे हजार पांच सौ चवन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(1150)/COS(HQ)/Cons. Duty/150.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. High Mark Credit Information Services Private Limited, 104, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,92,554 (Rs. Three Lac Ninety Two Thousand Five Hundred Fifty Four only) on the aggregate value of shares of Rs. 39,25,53,056 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,001 to 3,26,53,061 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(1139)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/151.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एटीसी टावर कम्पनी ऑफ इंडिया प्रा. लि., एस-2 लेवल, अपर ग्राउंड फ्लोर, ब्लाक-एफ, इन्टरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 8,87,29,900 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,77,00,517 से 11,65,73,506 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 88,730 (रूपए अट्ठासी हजार सात सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(1139)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/151.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ATC Tower Company of India Private Limited, S-2 Level, Upper Ground Floor, Block F, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 88,730 (Rs. Eighty Eight Thousand Seven Hundred Thirty) only on the aggregate value of shares of Rs. 8,87,29,900 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,77,00,517 to 11,65,73,506 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(1153)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/152.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओएनजीसी विदेश लि., 601, कैलाश, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 370,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड नोन-कनवर्टेबल बोण्ड जो कि डिबेन्चर सीरीज-II, के रूप में है, जिनकी पृथक संख्या 1 से 3700 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(1153)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/152.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ONGC Videsh Limited, 601, Kailash, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lac) only on the aggregate value of debentures of Rs. 370,00,00,000 for issue of Unsecured, Non-Convertible bonds in the nature of debentures Series-II bearing distinctive No. 1 to 3700 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(1152)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/153.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री भरूच दाहेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड, अगस्त क्रान्ति भवन, पहली मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 84,95,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,001 से 8,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 8,49,500 (रुपये आठ लाख उन्चास हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के  
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,  
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

**F. No. 10(1152)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/153.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act,

1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bharuch Dahej Railway Company Limited, August Kranti Bhawan, 1st Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,49,500 (Rs. Eight Lac Forty Nine Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 84,95,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 50,001 to 8,50,00,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority  
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)